



**न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता सदर दरभंगा
आदेश पत्रक**

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

**आदेश पत्रक- बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत
संदर्भित वाद संख्या-118/2013-14
त्रिभूवन ठाकुर बनाम शत्रुहन ठाकुर।**

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख-सहित												
	<p>अभिलेख का अवलोकन किया। बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत इस वाद की कार्यवाही आवेदक श्री त्रिभूवन ठाकुर, पे0-स्व0 चलित्तर ठाकुर, सा0-भरवाड़ा, थना-सिंहवाड़ा, जिला-दरभंगा के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक- 10.05.2013 के आलोक में प्रारंभ की गई है। इस वाद में श्री शत्रुहन ठाकुर पे0-स्व0 चलित्तर ठाकुर (विपक्षी पक्ष) सा0-भरवाड़ा, थना-सिंहवाड़ा, जिला-दरभंगा विपक्षी सदस्य है। इस वाद में विवाद के अन्तर्गत मौजा-भरवाड़ा में अवस्थित निम्न ब्योरे की भूमि है:-</p> <table border="1" data-bbox="381 907 1299 1153"> <thead> <tr> <th>खाता नं0</th> <th>खेसरा नं0</th> <th>रकवा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>305</td> <td>325</td> <td>0-0-12/1/4 धुर</td> </tr> <tr> <td>218</td> <td>318</td> <td></td> </tr> <tr> <td>172</td> <td>319</td> <td>0-1-0-0</td> </tr> </tbody> </table> <p>अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक के वाद पत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनते हुए वाद की प्रविष्टी की गई तथा दिनांक-10.05.2013 को ही विपक्षियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना निर्गत की गई जिसे दिनांक-15.05.2013 को निबंधित किया गया। आवेदक ने अपने वाद पत्र को शपथ-पत्र से समर्थित करते हुए बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत निर्धारित न्याय शुल्क मो0-100.00 (एक सौ) रूपये का मुद्रांक फ्रैंकिंग मशीन नं0-3356 पर दिनांक-10.05.2013 को जमा कर दाखिल किया है।</p> <p>उभय पक्षों के विद्वान अधिकवक्ताओं के तार्किक बहस को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।</p> <p>विदित होता है कि उभय पक्ष खास सहोदर भाई हैं तथा प्रश्नगत भूमि आवेदक ने स्वयं अपने तथा अपनी पत्नी के नाम केवाला दस्तावेजों के माध्यम से अर्जित किया है। विपक्षी का कहना है कि ये अपने सोने चाँदी की दुकान करते हैं तथा संयुक्त परिवार में अपनी कमाई बड़े भाई (आवेदक) को दिया करते थे तथा बड़े भाई होने के नाते सारे पैसे का उपयोग आवेदक ही किया करते थे तथा सभी की कमाई से ही प्रश्नगत भूमि खरीदी गई थी। परन्तु आवेदक ने बेईमानी की नियत से अपनी पत्नी के नाम जमीन खरीदा जिस पर अभी विपक्षी</p>	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा	305	325	0-0-12/1/4 धुर	218	318		172	319	0-1-0-0	
खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा												
305	325	0-0-12/1/4 धुर												
218	318													
172	319	0-1-0-0												

11/6/2013

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
	<p>रह रहे हैं।</p> <p>सुनने से विदित होता है कि आवेदक एवं विपक्षी के बीच अभी जमीन का बँटवारा नहीं हुआ है तथा सभी जमीन संबंधी कागजात आवेदक के ही पास है यह भी विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी ने अपनी कमाई से मकान बनाया है जिसे आवेदक कहते हैं कि विपक्षी ने जबरदस्ती उस मकान से इन्हें बेदखल कर दिया है। जबकि विपक्षी का कहना है कि आवेदक ने संयुक्त आय से प्रश्नगत भूमि अपनी पत्नी के नाम खरीद किया, इसकी जानकारी विपक्षी को नहीं हो पाई, जानकारी तब हुई जब वादी ने इनके खिलाफ इस मामले को दायर किया।</p> <p>उभय पक्षों के दावे-प्रतिदावे से इस वाद की प्रश्नगत भूमि में मकान पर स्वत्व न्याय निर्णित करने का जटिल प्रश्न निहित होना विदित होता है। आवेदक ने भी अपने वाद पत्र में Declaration of the right and Restore the possession की अनुतोष की माँग किया है, जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत मामला जटिल होने की स्थिति में संभव नहीं है।</p> <p>अतः बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की धारा 4 (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत आवेदक के वाद में Complex question of adjudication of title involves होने की स्थिति में इस कार्यवाही को बंद (Close) किया जाता है तथा पक्षकारों को निदेश दिया जाता है कि अपने दावे के उपचार हेतु उचित व्यवहार-न्यायालय के समक्ष याचना करें।</p> <p>उपरोक्त मन्तव्य के साथ इस कार्रवाई को निष्पादित किया जाता है।</p> <p>अभिलेख संचिकास्त करें।</p> <p>लेखापित एवं शुद्धित  भू0 सु0 उप समाहर्ता सदर, दरभंगा।</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता  सदर, दरभंगा।</p>	